



दिनांक 17.09.2021

प्रेस विज्ञप्ति 17 / 2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-20

- पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी का माल

- चोरी की 01 बलेनो कार (बिना नम्बर प्लेट की)

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 16.09.2021 को थाना सेक्टर-20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफ ब्लाक सेक्टर-08 के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रामखिलाड़ी उर्फ राजू 2—शाकिर घायल हो गया, जिसे 3—अभियुक्त कुलदीप 4—असलम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल, चोरी की 01 बलेनो कार (बिना नम्बर नम्बर प्लेट की), 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रामखिलाड़ी उर्फ राजू के विरुद्ध कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों

पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, आदि के 13 अभियोग पंजीकृत व अभियुक्त कुलदीप के विरुद्ध कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामखिलाडी उर्फ राजू निवासी ग्राम पवरई थाना एका जनपद फिरोजाबाद, हालपता—सूरदास कालोनी थाना सेक्टर—37 ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा।

2—शाकिर निवासी पीरवा मोहल्ला कर्सा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

3—कुलदीप निवासी पी—38 फेस—4 शिवविहार करावल नगर, दिल्ली।

4—असलम निवासी कला इन्कलेव खोडा कालोनी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी का माल।

2—चोरी की 01 बलेनो कार (बिना नम्बर नम्बर प्लेट की)।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट का 01 ट्रक
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 17.09.2021 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपालपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नौशाद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—सूरज 3—दिलशाद उर्फ लंबू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 ट्रक, गेहूँ की 48 खाली बोरिया, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01

खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.06.2021 की रात्रि थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रक आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद निवासी इस्लाम नगर थाना कछौना जनपद हरदोई।

2—सूरज निवासी इस्लाम नगर थाना कछौना जनपद हरदोई।

3—दिलशाद उर्फ लंबू निवासी इस्लाम नगर थाना कछौना जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—लूट का ट्रक, गेहूँ की 48 खाली बोरिया।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर / थाना इकोटेक-3

- पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस
 - 06 मोबाइल फोन
 - 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 16.09.2021 को थाना इकोटेक-3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खेड़ा चौगानपुर गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रिंकू 2—अमित 3—सोनवीर 4—सचिन घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 06 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र में सवारी बनकर ओला उबर टैक्सी बुक कर ड्राइवरों के साथ लूट आदि की घटनाएं कारित की जाती हैं। जिनके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इकोटेक-3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिंकू निवासी ढुढ़रा थाना सिडपुरा जनपद कासगंज, हालपता बहरामपुर जनपद गाजियाबाद।

2—अमित निवासी लक्ष्मण नगला थाना सिडपुरा जनपद कासगंज, हालपता बहरामपुर जनपद गाजियाबाद।

3—सोनवीर निवासी गोसाई बेहटा थाना बिल्सी जनपद बदायूं हालपता सिटी फॉरेस्ट के पास जनपद गाजियाबाद।

4—सचिन निवासी गढ़ी जस्सा थाना एत्मादपुर जनपद आगरा, हालपता तिगरी गोल चक्रर के पास गाजियाबाद।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2—06 मोबाइल फोन।

3—02 मोटर साइकिल।

जनपद फिरोजाबाद / थाना पचोखरा

- 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 16.09.2021 को थाना पचोखरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पचोखरा क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—गौतम कुमार 2—संतोष कुमार 3—राहुल कुमार 4—रजत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो भिन्न-भिन्न स्थानों से वाहन चोरी करके नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौतम कुमार निवासी देवखेड़ा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

2—संतोष कुमार निवासी अम्बेडकर पार्क के सामने कस्बा व थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

3—राहुल कुमार निवासी देवखेड़ा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

4—रजत कुमार निवासी देवखेड़ा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

जनपद प्रयागराज / थाना सरायइनायत

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 75 किलोग्राम अवैध गांजा
- 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद

दिनांक 16.09.2021 को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केसरवानी कोल्ड स्टोरेज सहसों के सामने से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—ओमप्रकाश उर्फ पप्पू 2—संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 75 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 स्विफ्ट डिजायर कार, नगद रूपये बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सरायइनायत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—ओमप्रकाश उर्फ पप्पू निवासी दयालपुर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही।
- 2—संजय कुमार निवासी ग्राम बजती थाना सरायमरेज जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

- 1—75 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2— 01 स्विफ्ट डिजायर कार।
- 3— नगद रूपये।

जनपद बरेली / थाना फरीदपुर

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 100 ग्राम अवैध स्मैक
 - 01 मोबाइल फोन
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 16.09.2021 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिपेड़ा के पास से चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर वसीम को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 100 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी वीसलपुर रोड मो0 मिर्धान कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 100 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद हमीरपुर / थाना ललपुरा

• 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.09.2021 को थाना ललपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुंडौरा मोड़ टैम्पो स्टैंड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुरुप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ललपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59 / 2021 धारा 147 / 326 / 342 / 323 / 506 / 188 / 269 भादवि व 51 / 57 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 03 महामारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ललपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुरुप्रसाद निवासी ग्राम पोथिया थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना बीबीनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे एफटीसी-02 बुलन्दशहर द्वारा थाना बीबीनगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➤ जनपद रायबरेली/थाना गुरुबकशगंज(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रायबरेली द्वारा थाना गुरुबकशगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि में अभियुक्त गुलशन कुमार को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफ: फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं साल्वर गैंग, परीक्षा केन्द्र का मैनेजमेण्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी से सांठ-गांठ कर टी०जी०टी०/पी०जी०टी० व TET के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह का सरगना व 02 अन्य सदस्य एस०टी०एफ० द्वारा गिरफ्तार। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, प्रयागराज कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत के मिले प्रमाण।

आज दिनांक: 17-09-2021 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं साल्वर गैंग, परीक्षा केन्द्र का मैनेजमेण्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी से सांठ-गांठ कर टी०जी०टी०/पी०जी०टी० व TET के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह का सरगना व 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी। सरगना स्वयं भी जूनियर हाई स्कूल में रह चुका है फर्जी शिक्षक तथा उसका एक साथी प्राईमरी शिक्षक के रूप में कर रहा है कार्य। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत के मिले प्रमाण।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— राम निवास उर्फ राम भईया पुत्र ताले सिंह नि० ग्रा० भांडरी पो० आमैर, थाना फौकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद हाल पता मकान नं० 276 / सी, विजेन्द्र कालोनी, थाना फौकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद (**फर्जी जू०हा० स्कूल शिक्षक**)
- 2— संजय सिंह पुत्र फौवनरायन सिंह, नि० ग्राम चितरंजनपुर थाना गुरारू जिला गया बिहार व हाल पता 521 राहुल बिहार गली नं० 11 थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद (**डाटा साप्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेली का प्रोडक्शन मैनेजर**)
- 3— रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र बहादुर सिंह, नि० बस्तिबाद सिकन्दरा, जनपद आगरा हाल पता मकान मालिक दीन दयाल ब्लॉक रामपुर लेटिहा, भाटपारानी, थाना देवरिया, स्थाई पता म०नं० 16 गुलाटर इन्केलव, सिकन्दरा, आगरा (**फर्जी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय बनकटा देवरिया**)

बरामदगी:-

1. मोबाइल फोन—08 अदद।
2. चैक बुक—04 अदद।
3. बियरर चेक—04 वर्क।
4. डेबिट कार्ड—04 अदद।
5. बिजनेस कार्ड—01 अदद।
6. क्रेडिट कार्ड— 03 अदद।
7. आधार कार्ड— 03 अदद।
8. इनकम टैक्स कार्ड—01 अदद।
9. वोटर आई०डी० कार्ड—05 अदद।
10. पेन ड्राइव—07 अदद।
11. ड्राइविंग लाइसेन्स— 02 अदद।
12. पैन कार्ड—01 अदद।
13. पहचान पत्र—02 अदद।
14. मोहर—03 अदद।
15. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ—25 अदद।
16. परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित प्राईमरी अध्यापक का सत्यापन फार्म— 7 वर्क।
17. राम निवास द्वारा हस्तालिखित व टाइपसुदा टी०जी०टी० परीक्षा के 34 कन्डीडेट की सूची।
18. टी०जी०टी० परीक्षा से सम्बन्धित 26 कन्डीडेट की टाइपसुदा सूची।
19. हिसाब किता की डायरी—दो मीडियम व एक पॉकेट।
20. खण्ड फौकाधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2021 को जारी कारण बताओ नोटिस की मूल प्रति।
21. सैलरी स्लिप संजय कुमार— 01 वर्क।
22. एडमिट कार्ड मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार— 13 अदद मय परीक्षा फाम।
23. बिहार लोकसेवा आयोग उत्तर पुस्तिका—01 अदद।
24. National Eligibility Cum Entrance Test (UG) 2021 Application Form- 08 अदद।
25. ई-स्ट्रैम्प कीमत 50 रुपया— 01 अदद।
26. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार मार्कशीट— 07 अदद।
27. मगध यूनिवर्सिटी परीक्षा फार्म भरा हुआ— 05 अदद।
28. आधार फार्म भरे हुए विभिन्न व्यक्तियों के—03 अदद।
29. परीक्षा नियंत्रक प्रार्थना—पत्र बोधगया यूनिवर्सिटी अभ्यर्थी माला कुमारी— 01 अदद।
30. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार मार्कशीट स्टेटमेन्ट— 13 अदद।
31. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार मार्कशीट स्टेटमेन्ट की छायाप्रति— 12 अदद।
32. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार बीएड द्वितीय वर्ष प्राप्तांक स्टेटमेन्ट— 06 अदद।
33. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र की छायाप्रति— 04 अदद।

34. बीएससी—2019 प्रथम वर्ष लाइनिंग कागज पर लिखे हुए विभिन्न रोल नम्बर संलग्नक— 06 वर्क।
35. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल इंजाम जून 2021, रोल लिस्ट विथ फोटो— 02 अदद।
36. बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमिडिएट एजूकेशन यू०पी० प्रयागराज अटेन्डेन्स चार्ट हाई स्कूल इंजाम 2021 मय फोटो— 07 अदद।
37. इयर बड (ब्लूटूथ) इलेक्ट्रानिक डिवाइस— 01 अदद (एक जोड़ी)।
38. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार एलएलबी परीक्षा प्रवेश पत्र की मूलप्रति— 01 अदद।
39. मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार बीए प्रथम वर्ष कालेज कोड व सेन्टर की छायाप्रति— 02 वर्क।
40. नगद रूपया— 2,50,000/-
41. खाते में फ्रीज करायी गयी धनराशि रु० 19,00,000/-

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

पिकप तिराहा थानाक्षेत्र विभूतिखण्ड, कमिशनरेट, लखनऊ।

दिनांक 17—09—2021 प्रातः 08:00 बजे।

विगत कई वर्षों से प्रदे”। के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपना कर फर्जी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कई गैंग सक्रिय होने की सूचना प्राप्त होने पर ऐसे सक्रिय गैंगों का एस०टी०एफ० द्वारा समय—समय पर भण्डाफोड किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन मे श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० के निर्देशन में एस०टी०एफ० मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त गैंग का सरगना रामनिवास उर्फ राम भईया अपने कुछ साथियों से मिलने व पैसो व प्रपत्रों का लेन—देन करने दिनांक 17—09—2021 को सुबह किसी समय लखनऊ पिकप भवन के पास पहुँचेगा। उक्त सूचना पर उ०नि० शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में मु०आ० चन्द्र प्रका”। मिश्र, मु०आ० बरनाम सिंह, आरक्षी मुनेन्द्र सिंह, आ०कमाण्डो दयानन्द मिश्रा मय आरक्षी चालक अफजाल की पूर्व से रवाना शुदा टीम द्वारा पिकप भवन के पास उक्त गैंग के लिए गाढ़ा बन्दी की गयी। समय करीब 8:00 बजे प्रातः जैसे ही उपरोक्त गैंग के सदस्य इकट्ठा हुये तो मुख्यबिर की निशादेही पर पिकप भवन तिराहे से 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

अभियुक्तों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि जनपद देवरिया मे विनय तिवारी व कुशीनगर मे मनीष यादव फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राईमरी अध्यापक के रूप मे तैनात है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं मे अनुचित तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्त कराने का काम करते हैं। वर्ष 2016 मे हुयी 15000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु रामनिवास ने इन्हे अपने 15 कैडिडेट दिये थे व प्रति कैडिडेट 06 लाख की दर से कुल 90 लाख रूपये भी दिये थे। इसके सभी 15 कैडिडेटों की जनपद देवरिया मे इनके माध्यम से ज्वाइनिंग भी हो गयी परन्तु कुछ माह बाद उन्हे फर्जी रूप से नियुक्त बता कर निकाल दिया गया था, जिससे वे सभी रामनिवास पर पैसा वापसी का दबाव बनाने लगे। वर्ष 2017 मे 68500 व वर्ष 2018 मे 69000 प्राईमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मे रामनिवास व रवीन्द्र ने अपने कैडिडेट भर्ती कराने का पुनः प्रयास किया और अपने सभी कैडिडेट भर्ती भी करा दिया। इन दोनो वर्षों की प्राईमरी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त विवरण विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध था, जिसे कोई भी देख सकता था। बेवसाइट देखने से यह पता चला कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका वर्ष 2017 व 2018 दोनों मे चयन हुआ है तथा एक चयन प्रक्रिया मे उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दे दिया तथा दूसरी चयन प्रक्रिया का पद रिक्त हो गया। रिक्त पद से सम्बन्धित नाम, पता, मार्कशीट आदि नेट से डाउनलोड कर प्रिन्ट करा लिया तथा उक्त नाम पते वाले व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड व शैक्षिक दस्तावेज उसने अपने साथी नीरज

जो प्राईमरी अध्यापक है तथा शिकोहाबाद मे तहसील तिराहे पर शिवम फोटो के नाम से दुकान चलाने वाले छोटू की मदद से तैयार करा लिया। उक्त प्रपत्रों पर फोटोग्राफ अपने कैडिडेट की चर्स्पा करायी जिसको प्राईमरी शिक्षक के रूप मे नियुक्त कराना था। इस प्रकार रामनिवास ने अपने साथी रवीन्द्र कुमार की मदद से जनपद हरदोई मे 09, इटावा मे 10, अमेठी मे 05, गोण्डा मे 01, बलरामपुर मे 01, औरैया मे 01, जालौन मे 09, श्रावस्ती मे 08 तथा सीतापुर, हाथरस व प्रयागराज जनपदो मे लगभग 100 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को फर्जी रूप से नियुक्त कराया और करोड़ों रुपये कमाये। विभिन्न वर्षों मे नियुक्त फर्जी शिक्षकों का सत्यापन नियुक्ति जनपदों द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के स्तर से कराया जा रहा था। फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट व अन्य माध्यमों से चिन्हित कर सत्यापन प्रक्रिया को रामनिवास द्वारा सुलभ बनाते हुये सम्बन्धित फर्जी शिक्षकों से काफी धनराशि वसूली गयी। इस कृत्य मे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिपिक नरेन्द्र कन्नौजिया से सांठ—गांठ कर सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करायी, जिसके बदले लिपिक नरेन्द्र ने प्रति कैडिडेट 50 हजार रुपये राम निवास से नकद व खाते के माध्यम से प्राप्त किये। इस कार्य मे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज के कई अन्य कर्मियों से भी सहयोग लेता रहा। इसके अतिरिक्त TGT/PGT परीक्षा की आन्सर—की के माध्यम से भी अपने कई कैडिडेट को इन परीक्षाओं मे पास करवाया। अपने साथी नीरज की मदद से साल्वर बैठा कर भी कुछ कैडिडेट पास कराये। वर्ष 2021 मे हुई TGT/PGT परीक्षा मे अधिक सख्ती होने के कारण आन्सर—की के माध्यम से व साल्वरों के माध्यम से अपने कैडिडेट का काम नहीं करा सका। राम निवास के साथीन रवीन्द्र ने उसकी मुलाकात डाटा साप्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइली, दिल्ली के मैनेजर संजय सिंह से करायी, जिन्होने TGT/PGT परीक्षा वर्ष 2021 मे प्रतिभाग करने वाले अपने कैडिडेट की सूची देने को कहा तथा यह भी बताया कि इन परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी के लोगों से उनके सम्बन्ध हैं, इसलिए ओ०ए०आ००० शीट चाहे खाली अथवा भरी हों दोनों रिस्तियों मे मैनेज कर रिजल्ट मे पास करवा देंगे। रामनिवास द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से 34 TGT कैडिडेट की सूची रवीन्द्र सिंह के माध्यम से संजय को भेजी गयी तो उसने बताया कि इसमे से मात्र 26 कैडिडेट ही हो सकते हैं, अतः संशोधित सूची भेजने को कहा। 26 कैडिडेट की सूची भेजने के बाद दिल्ली मे संजय से कई बार मुलाकात होने पर प्रति कैडिडेट 07 लाख की दर से उनके द्वारा पैसे की मांग की गयी। 05 लाख रुपये एडवांस रामनिवास द्वारा देने पर दिनांक 17—09—2021 को लखनऊ मे संजय द्वारा मिलने व इन्फोलिंक कम्पनी के किसी अधिकारी से मुलाकात कराने की बात कही गयी थी, इसी क्रम मे यह लोग आज पिकअप तिराहा गोमतीनगर पर एकत्र हुये थे और पकड़ लिये गये।

पूछताछ के क्रम में प्रकाश मे आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना विभूतिखण्ड, कमिशनरेट, लखनऊ मे मु०अ०सं० 493 / 2021 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 259 / 260 भादवि व 66डी आई०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
